**भारत सरकार**

**इस्पात मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3508**

**17 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए**

**स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कार्य-निष्पादन**

**3508. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के पर्यावरणीय निष्पादन की लेखापरीक्षा यूएनडीपी अथवा एनडीसी लक्ष्यों के अनुरूप की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भट्टियों के सुरक्षित और सतत् उपयोग के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु किन्हीं योजनाओं पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) प्रमुख नियामक प्राधिकरण है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के संयंत्र/इकाइयां पर्यावरण मंजूरी (ईसी), स्थापना की सहमति (सीटीई), संचालन की सहमति (सीटीओ), अपशिष्टों (खतरनाक अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट) के प्रबंधन के लिए प्राधिकरण आदि वैध वैधानिक अनुमतियों के तहत गतिविधियां चलाती हैं और वैधानिक प्रमाणपत्रों/परमिट में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) जैसे नियामक निकायों द्वारा सेल के पर्यावरण अनुपालन की नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है।

(ग) और (घ): तकनीकी उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है। सेल भट्टियों सहित अपने संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण को डिजाइन करते समय सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकियों (बीएटी) का चयन करता है। सेल अन्य सुविधाओं के अलावा, भट्टियों के सुरक्षित और टिकाऊ उपयोग की दिशा में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के लिए प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ भी सहयोग करता है।

******